♦प्रेस नोट♦

जनपद सोनभद्र

दिनांक- 18.02.2026

थाना ओबरा की साइबर टीम द्वारा तीन पीड़ितों की फ्राड हुई धनराशि कुल 3,33,210/- (03 लाख 33 हजार 210) रुपये उनके मूल खातों मे कराया गया वापस-

अवगत कराना है कि **आवेदक गोविन्द कृष्ण सिंह** पुत्र रामसुरेश सिंह निवासी खैरटिया बिल्ली मारकुण्डी ओम चौराहा थाना ओबरा जनपद सोनभद्र के साथ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा शेयर मार्केट में ज्यादा लाभ का लालच देकर संपर्क किया और फर्जी निवेश के लिए 2,44,095/- रुपये ट्रांसफर करा लिए थे, **आवेदक नितिन विश्वकर्मा** निवासी ओबरा मार्केट थाना ओबरा जनपद सोनभद्र के साथ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के नाम पर झांसा देकर एक लिंक पर क्लिक कराया गया। लिंक के माध्यम से आवेदक से कार्ड संबंधी जानकारी/OTP प्राप्त कर लिया गया, जिसका दुरुपयोग कर आवेदक के क्रेडिट कार्ड से अनाधिकृत ऑनलाइन लेनदेन कर 87,794/- की धनराशि की ठगी की गई तथा **आवेदक अजय कुमार वर्मा** पुत्र मोहनलाल प्रसाद वर्मा पता बिल्ली मारकुण्डी थाना ओबरा जनपद सोनभद्र के साथ Work From Home के नाम पर 1321/- रुपये की ठगी कर ली थी। जिसके सम्बन्ध में पीडितों द्वारा साइबर हेल्पलाइन नंम्बर 1930 व साइबर क्राईम पोर्टल (cybercrime.gov.in) के माध्यम से शिकायत दर्ज करायी थी।

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र श्री अभिषेक वर्मा द्वारा साइबर अपराध एंव अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम मे एंव अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) श्री अनिल कुमार के निर्देशन में व क्षेत्राधिकारी ओबरा श्री अमित कुमार के पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक ओबरा श्री सदानन्द राय के कुशल नेतृत्व में थाना ओबरा की साइबर टीम द्वारा NCRP पोर्टल का अवलोकन करके पीडितों की फ्राड हुई कुल धनराशि 3,33,210/- रुपये को सम्बन्धित खातों मे होल्ड कराया गया तथा NCRP पोर्टल से आवश्यक साक्ष्य एकत्रित करके संबन्धित बैंक शाखा को जरिये ईमेल पत्राचार करके पीडितों की होल्ड करायी गयी धनराशि कुल 3,33,210/- रुपये पीडितों के मूल बैंक खातों में सफलतापूर्वक वापस कराया गया। आवेदक द्वारा थाना ओबरा की साइबर टीम की भूरि-भूरि प्रशंसा की।

धनराशि वापस कराने वाली टीमः-

01.श्री सदानन्द राय, प्रभारी निरीक्षक थाना ओबरा सोनभद्र

02.का0 पंकज पाल, साइबर हेल्प डेस्क थाना ओबरा सोनभद्र

नोटः- साइबर अपराध की घटना होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नम्बर 1930 पर कॉल या नजदीकी थाने पर रिपोर्ट या cybercrime.gov.in पर लॉगिन कर तुरन्त शिकायत दर्ज करायें।